न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा

उपस्थितः- राम नगीना यादव (एच0जे0एस0)-UP5737

UPMB010019752019

सत्र परीक्षण संख्या-64/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह यादव पुत्र मथुरा प्रसाद, निवासी ग्राम भटेवरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

.............अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या-0308/2016

धारा- 60 सपठित धारा 63 आबकारी अधिनियम

एवं 272,273 भादसं

थाना-कुलपहाड़, जिला महोबा

निर्णय

1. अभियुक्त खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह यादव के ऊपर धारा-60 सपठित धारा 63 आबकारी अधिनियम एवं 272,273 भादसं का आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 महोबा द्वारा दिनांक 30.08.2016 को समय 00.30 बजे इस आशय की फर्द बरामदगी/तहरीर (प्रदर्श क-1) थाना कुपहाड़ में दाखिल किया कि उसे मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम भटेवरा खुर्द थाना कुलपहाड़ में भक्ति सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद यादव के घर पर अवैध द्रव्य 1 स्प्रिट से अवैध देशी शराब के पौवे तैयार किये जा रहे हैं। उक्त ख़बर पाकर वह तत्काल मुख़बिर ख़ास को वाहन में बैठाकर तथा अन्य आबकारी सिपाहीगण को लेकर मौके पर पहुंचा। मुखबिर खास ने समय 18.15 बजे एक मकान की ओर इशारा कर दिया तो वे लोग गाड़ी से उतरकर मकान की ओर बढ़े तभी एक व्यक्ति मकान के पिछले दरवाजे से

Digitally signed by RAM NAGINA YADAV
Date: 2026.07.01 11:28:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भागता हुआ दिखायी दिया। उसको प्रयास करने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका। मुखबिर खास द्वारा मौके पर बताया गया कि भागने वाला व्यक्ति जिसका मकान है, वह भक्ति सिंह यादव है। तत्काल उन लोगो द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को मकान की तलाशी हेतु साथ में मकान के अन्दर चलने को कहा पर भलाई-बुराई के कारण कोई भी मकान के अन्दर चलने को तैयार नहीं हुआ। संदिग्ध स्थल होने के कारण मकान की तलाशी ली गयी जिसमें भीतरी कमरे में अवैध देशी शराब के 25 पौवे (200 एम एल) झूम ब्राण्ड, 20 खाली पौवे व एक प्लास्टिक की बोतल में लगभग 02 लीटर स्प्रिट/एल्कोहल जैसा द्रव्य एवं 500 नये ढ़क्कन तथा 343 नकली होलोग्राम बरामद हुआ। 02 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल को सूँघकर व चखकर मौके पर सत्यापित किया गया कि उक्त द्रव्य अवैध स्प्रिट/एल्कोहल है जिससे बनायी गयी देशी शराब से मानव स्वास्थ व मानव जीवन को खतरा हो सकता है जो कि आई पी सी की धारा 272/273 का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त के संदर्भ में मौके पर ही बरामद अवैध देशी शराब के 25 पौवों में से 04 पौवो को एक प्लास्टिक की बोतल में बतौर नमूना सर्वमुहर किया गया एवं बचे 21 पौवों को अलग बोरी में सर्वमुहर किया गया तथा होलोग्राम व ढ़क्कन एक साथ झोले में सर्वमुहर किया गया एवं 20 खाली पौवो की शीशियां एक बोरी में सर्वमुहर की गयीं। अतः मकान मालिक भक्ति सिंह यादव के विरूद्ध संज्ञेय अपराध पाते हुये आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के साथ-साथ आई०पी०सी० की धारा 272/273 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए यथोचित कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. वादी मुकदमा की तहरीर/फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-1) के आधार पर दिनांक 30.08.2016 को समय 00.30 बजे अभियुक्त भक्ति सिंह यादव पुत्र मथुरा प्रसाद यादव निवासी ग्राम भटेवरा खुर्द, कुलपहाड़, जिला महोबा के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-0308/2016, धारा 60 सपठित धारा 63 आबकारी अधिनियम एवं 272,273 भादसं, थाना-कुलपहाड़, जिला महोबा में पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि थाने के रोजनामचाआम दिनांकित 30.08.2016 में की गयी। मामले की विवेचना उप-निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान के सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा बयान लेखक कायमी, बयान वादी मुकदमा रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 महोबा तथा अन्य गवाहान के बयानात अंकित किये और वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-नजरी (प्रदर्श-5) तैयार किया तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया। विवेचनोपरांत अभियुक्त खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह यादव

के विरूद्ध धारा-60 सपठित धारा 63 आबकारी अधिनियम एवं 272,273 भादसं के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

5. आरोप पत्र पर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात दण्ड वाद संख्या-124/2018, सरकार बनाम खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह, मुकदमा अपराध संख्या-308/2016, धारा- 272, 273 भादसं व 60(63) आबकारी अधिनियम, थाना कुलपहाड़ जिला महोबा पंजीकृत किया गया तथा उपार्पण आदेश दिनांकित 23.07.2019 के द्वारा उपरोक्त दण्ड वाद को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित (commit) किया गया।
6. दिनांक 02.09.2019 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, महोबा द्वारा अभियुक्त खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह के विरूद्ध धारा-272, 273 भादसं व 60(63) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया एवं विचारण की याचना की गयी।
7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये कुल 04 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्ल्यू०1 रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 महोबा ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी/तहरीर प्रदर्श क-1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है। पी० डब्ल्यू०-3 हे० कां० अशोक कुमार ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 व कायमी जी० डी० प्रदर्श क-3 को साबित किया है जबकि पी०डब्ल्यू०-4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान द्वारा गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श-4, नक्शा-नजरी प्रदर्श क-5 व आरोप पत्र प्रदर्श क-6 को साबित किया है। दिनांक 06.05.2026 को प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र 46ख प्रस्तुत कर पत्रावली में संलग्न कागज संख्या-44क विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर प्रदर्श अंकित किये जाने का निवेदन किया गया, न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर प्रदर्श क-7 अंकित किया।
8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दप्रसं अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कहानी को झूठा बताते हुये साक्षीगण द्वारा झूठा साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया। चुनाव की रंजिश में विरोधियों से मिलकर पुलिस वालों द्वारा झूठा फंसाने का कथन किया। बयान अन्तर्गत धारा 313 दप्रसं में अभियुक्त ने अपना सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है।
9. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस दिनांक-25.06.2026 को सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य का परिशीलन किया।

10.अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1** रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 महोबा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.08.2016 को वह आबकारी निरीक्षक के पद पर जनपद महोबा में तैनात था। दिनांक 29.08.2016 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम भटेवरा खुर्द थाना कुलपहाड़ में भक्ति सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद के घर पर अवैध द्रव्य स्प्रिट से अवैधानिक तरीके से अवैध शराब तैयार की जा रही है। उक्त मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके वह मुखबिर व अन्य आबकारी स्टाफ उपनिरीक्षक घनश्यामदास, आबकारी सिपाही महताब आलम, आबकारी सिपाही नरेन्द्र कुमार, आबकारी सिपाही कार्तिकेय अग्निहोत्री, आबकारी सिपाही मूलचन्द्र चौरसिया को साथ लेकर सरकारी वाहन बुलेरो से मौके पर पहुँचे। समय करीब 18:15 बजे मौके पर पहुँचे जहाँ पर मुखबिर ने मकान की ओर इशारा कर उन्हें बताया और वे लोग मकान की ओर आगे बढ़े तभी मकान के पिछले दरवाजे से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखायी दिया। मुखबिर खास ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति भक्ति सिंह यादव है और यह मकान उसी का है। उन लोगों के द्वारा उसी समय स्थानीय व्यक्तियों को मकान की तलाशी लेने के लिये मकान के अन्दर चलने को कहा तो भलाई-बुराई की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। कर्मचारीगण ने एक-दूसरे की तलाशी लेते हुये नियमानुसार मकान की तलाशी ली गयी जिसमें भीतरी कमरे में अवैध देशी शराब के 25 पौवो झूम ब्राण्ड 200 एम०एल० और 20 खाली पौवो व एक प्लास्टिक की बोतल में लगभग 02 लीटर स्प्रिट/एल्कोहल जैसा द्रव्य और 500 नेय ढ़क्कन और 343 नकली हॉलोग्राम बरामद हुये। 02 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल को सूंघ पर व टेस्ट कर विश्वास किया कि उक्त द्रव्य एल्कोहल है जिससे देशी शराब बनाकर मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन को खतरा हो सकता है। बरामद सामान में से चार पौवो को एक प्लास्टिक की बोतल में बतौर नमूना सर्वमुहर किया गया एवं बचे 21 पौवो को अलग बोरी में रखकर सर्वमुहर किया गया और होलोग्राम व ढ़क्कन एक साथ झोले में सर्व मुहर किया गया और 20 खाली शीशियां एक बोरी में सर्वमुहर की गयीं। मौके पर उसके ही द्वारा फर्द तैयार की गयी। फर्द तैयार कर हमराहियों को सुनायी गयी और हमराहियों के हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये। फर्द और माल को लेकर थाना कोतवाली कुलपहाड़ में दाखिल किया गया और मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या-5क फर्द बरामदगी है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर हमराहियों के हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पुष्टि करता है,जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। विवेचक ने इस सम्बन्ध में उसका बयान लिया था।

11.प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०1 ने कहा है कि मुखबिर उन्हें महोबा कुलपहाड़ के बीच में मिला था। मुखबिरी उसे आफिस में मिली थी इसलिये वे लोग घटनास्थल के लिये रवाना हुये थे। मुखबिर को उन लोगों ने रास्ते में बैठा लिया था। घटनास्थल तक वे लोग मुखबिर को ले गये थे। महोबा से शाम 04.45 बजे चले थे। मुखबिर 05.30 बजे रास्ते में मिला था। घटनास्थल पर 06.00 बजे के आस-पास पहुँच गये थे। घटनास्थल गांव की आबादी की है। उसने मुखबिरी होने के बाद सम्बन्धित थाना को सूचना नहीं किया था। वे लोग सरकारी जीप से गये थे। जीप का नम्बर याद है जो कि यू०पी० 90 एम 0360 है। इसका हवाला उसने अपनी तहरीर में नहीं दिया होगा। घटनास्थल वाले मकान में सम्भवतः उत्तर दिशा से मकान के अन्दर गये थे। इस समय उसे याद नहीं है। घटनास्थल वाले मकान में दो-तीन दरवाजे होंगे। भागने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ भागा था। भागने वाले व्यक्ति को उन लोगो ने 20-25 मीटर की दूरी से देख लिया था। भागने वाला व्यक्ति क्या कपड़े पहने था, इस समय याद नहीं है। भागने वाले व्यक्ति की हुलिया व ऊँचाई नहीं बता सकता। घटना वाले मकान के अगल-बगल कई लोगों के मकान थे। जब वे लोग घर के अन्दर प्रवेश हुये तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति व बच्चे नहीं मिले। मकान की शिनाख्त के लिये उसने लोगो से पूछतांछ किया था लेकिन किसी ने अपने नाम पते नहीं बताये और न ही मकान शिनाख्त करने के लिये गवाही दी। घटना वाले मकान के अगल-बगल किसके मकान थे वह नहीं बता सकता। उन लोगो ने घटना वाले मकान के बाहर एक-दूसरे की जामा तलाशी ली थी। उसकी जामा तलाशी एस० आई० घनश्यामदास ने ली थी। माल मुकदमा आज उसके सामने नहीं है। माल बरामद होने के बाद सम्बन्धित थाना पुलिस को सूचना नहीं दी थी बल्कि वे लोग माल को थाना लेकर गये थे। तहरीर उसने स्वयं थाना में बैठकर लिखी थी। घटनास्थल पर लगभग दो घण्टे रहे थे। इस डेढ़ दो घण्टे के अन्तराल में कोई व्यक्ति घर के अन्दर नहीं आया। घटना वाले मकान में जानवर नहीं बंधते और न ही उसमें भूसा रखा हुआ था। उसने ग्राम प्रधान का नम्बर लोगो से मांगा था लेकिन किसी ने ग्राम प्रधान का नम्बर उसे उपलब्ध नहीं कराया इसलिये उसने ग्राम प्रधान से सम्पर्क नहीं किया। घटना वाले मकान का दरवाजा खुला था। घटना वाले मकान में लगभग दो कमरे थे और एक कमरे का दरवाजा खुला था और दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था फिर कहा कि दोनो कमरे के दरवाजे खुले थे। बरामद माल आंगन के बरामदे में मिल गया था। उन लोगो ने कमरों की तलाशी ली थी लेकिन कमरों में कोई माल नहीं मिला था। घटना वाला मकान आम रास्ते में है। वे लोग घटना वाले मकान के पीछे गये थे लेकिन यह नहीं बता सकते कि पीछे किसका मकान है। विवेचक ने उसका

बयान महोबा आफिस में आकर लिया था, कब लिया था, यह याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने गांव वालों से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त के मकान से कोई माल बरामद न हुआ हो।

12.साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1** रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक के मुख्य बयान व प्रतिपरीक्षा के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 29.08.2016 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम भटेवरा खुर्द थाना कुलपहाड़ में भक्ति सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद के घर पर अवैध द्रव्य स्प्रिट से अवैधानिक तरीके से अवैध शराब तैयार की जा रही है। जबकि प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि मुखबिर उन्हें महोबा कुलपहाड़ के बीच में मिला था। जब मुखबिर महोबा कुलपहाड़ के बीच में मिला था तो मुखबिरी ऑफिस में कैसे मिली स्पष्ट नहीं है। मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मकान के पिछले दरवाजे से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखायी दिया। मुखबिर खास ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति भक्ति सिंह यादव है और यह मकान उसी का है। प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि घटनास्थल वाले मकान में सम्भवतः उत्तर दिशा से मकान के अन्दर गये थे। भागने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ भागा था। भागने वाले व्यक्ति को उन लोगो ने 20-25 मीटर की दूरी से देख लिया था। भागने वाला व्यक्ति क्या कपड़े पहने था, इस समय याद नहीं है। भागने वाले व्यक्ति की हुलिया व ऊँचाई नहीं बता सकता। जब वे लोग उत्तर दिशा से मकान में गये और अभियुक्त उत्तर दिशा से ही भागा तो फिर मकान के पिछले दरवाजे से भागने वाला बयान गलत प्रतीत होता है। गवाह के बयान के हिसाब से अभियुक्त उसी दिशा की ओर भागा जिधर से वे लोग गये थे तो वे लोग उसे आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन उसे पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया स्पष्ट नहीं है। उसके कपड़े व हुलिया को न बता पाना भी गवाह के बयान की सत्यता पर सन्देह पैदा करता है।

13.साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1** रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मकान की तलाशी ली गयी जिसमें भीतरी कमरे में अवैध देशी शराब के 25 पौवो झूम ब्राण्ड 200 एम०एल० और 20 खाली पौवो व एक प्लास्टिक की बोतल में लगभग 02 लीटर स्प्रिट/एल्कोहल जैसा द्रव्य और 500 नेय ढ़क्कन और 343 नकली हॉलोग्राम बरामद हुये। जबकि प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि बरामद माल आंगन के बरामदे में मिल गया था। उन लोगो ने कमरों की तलाशी ली थी लेकिन कमरों में कोई माल नहीं मिला था। साक्षी के अपने ही बयान से मकान के भीतरी कमरे से अवैध देशी शराब के 25 पौवो झूम ब्राण्ड 200 एम०एल० और 20

खाली पौवो व एक प्लास्टिक की बोतल में लगभग 02 लीटर स्प्रिट/एल्कोहल जैसा द्रव्य और 500 नेय ढक्कन और 343 नकली हॉलोग्राम की बरामदगी की बात झूठी साबित होती है।

14.साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1** रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी निरीक्षक के सम्पूर्ण बयान के परिशीलन से अवैध देशी शराब बनाने के उपकरणों व सामानों की बरामदगी की बात बनावटी प्रतीत होती है और इसी कारण वे लोग स्वतन्त्र गवाह प्राप्त करने व गवाह प्रधान से सम्पर्क करने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किये हैं।

15.**पी०डब्ल्यू०-2 महताब आलम** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि वह कुलपहाड़ क्षेत्र-03 में घटना के समय आबकारी विभाग में तैनात था। वह दिनांक 29.08.2016 को आबकारी निरीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम भटेवरफुर्द गाड़ी नं० यू०पी०90एम 0360 व कां० नरेन्द्र कुमार, कां० मूलचन्द्र, कां० कार्तिकेय उ० प्र० आबकारी निरीक्षक घनश्याम दास के साथ करीब समय 18:15 बजे ग्राम भटेवर पहुंचा। मुखबिर ने मकान की ओर इशारा किया। वे लोग गाड़ी से उतरकर मकान की ओर गये तो एक व्यक्ति पीछे के दरवाजे से भागता हुआ दिखायी दिया। मुखबिर ने बताया कि वह व्यक्ति भक्ति सिंह यादव है और यह मकान उसी का है। उन लोगो ने वहाँ मौजूद व्यक्तियों से मकान के अन्दर चलने के लिये कहा तो गांव की भलाई-बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। मौजूद सभी कर्मचारीगण ने आपस में एक-दूसरे की तलाशी ली। उन लोगो के पास कोई भी नाजायज चीज नहीं मिली फिर नियमानुसार मकान की तलाशी ली गयी जिसमें भीतरी कमरे में अवैध देशी शराब के 25 पव्वे झूम ब्राण्ड 200 एम० एल० और 20 खाली पौव्वे एक प्लास्टिक की बोतल में लगभग 02 ली० स्प्रीरिट (एल्कोहॉल) जैसा द्रव्य और 500 मय ढ़क्कन और 343 नकली होलोग्राम बरामद हुये। 02 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल को सूंघकर व टेस्ट कर विश्वास किया उक्त द्रव्य एल्कोहल है जिससे देशी शराब बनाकर मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन को खतरा हो सकता है। बरामद सामान में से 04 पौव्वे को एक प्लास्टिक की बोतल में बतौर नमूना सर्व मुहर किया गया एवं बची 21 पौव्वों को अलग बोरी में रखकर सर्वमुहर किया गया और होलोग्राम व ढ़क्कन एक साथ झोले में रखकर सर्वमुहर किये गये और 20 खाली शीशियां एक बोरी में रखकर सर्वमुहर की गयी। मौके पर दरोगा जी ने फर्द तैयार की और फर्द उन लोगो को पढ़कर सुनायी गयी थी। फर्द में उन सब लोगो ने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने फर्द में बने हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह हस्ताक्षर उसके हैं। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

16.जिरह किये जाने पर **पी०डब्ल्यू०-2 महताब आलम ने** बयान दिया है कि बयान के समय उसके सामने माल मुकदमा नहीं है। वह घटना के समय रामकृष्ण चतुर्वेदी आबकारी नि० का कर्मचारी था। घटना दिनांक को वे लोग फील्ड में घूम रहे थे। मुखबिर चरखारी सुपा क्रॉसिंग पर मिला था। मुखबिर खेमचन्द्र के घर तक गया था। खेमचन्द्र के मकान के अगल बगल किसके मकान हैं यह वह नहीं बता सकता। मकान खुले थे या बन्द थे यह नहीं बता सकता। घटनास्थल पर 06 या 06.15 पर पहुँच गया था। उसे जानकारी नहीं है कि घटनास्थल पर पहुँचने से पहले सम्बन्धित थाना को सूचना दी थी या नहीं। वे लोग कार्यालय से निकलने के बाद चांदौ चन्द्रपुरा व लाडपुर होते हुए घटनास्थल पर गये थे फिर कहा कि कार्यालय से सीधे घटनास्थल को गये थे। वे लोग यू०पी०90 एम0 0360 से रवाना हुये थे। उसे याद नहीं कि कार्यालय से कितने समय रवाना हुये थे। रास्ते में उनको जाने में 01 घण्टे के आस-पास समय लगा था। लगभग 10-12 मीटर तक अभियुक्त का पीछा किया था। वह गाड़ी के बीच में बैठा था। वह स्पष्ट नहीं बता सकता कि अभियुक्त का पीछे करने में सबसे आगे कौन था। उनकी टीम द्वारा अभियुक्त के मकान से करीब 2-4 मीटर पहले एक-दूसरे की जामा तलाशी ली थी। उन लोगो की जामा तलाशी 4-5 मिनट में हो गयी थी। जब उन लोगों ने जामा तलाशी ली उसके पहले अभियुक्त भाग चुका था। लिखा-पढ़ी के बाद माल की 4 या 5 बण्डल तैयार किये गये थे। लिखा-पढ़ी में कितना समय लगा था उसे याद नहीं है। लिखा-पढ़ी के समय गांव के लोग आ गये थे लेकिन कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। घटना वाला मकान रहने वाला मकान था। जानवरों वाला नहीं था। घटना वाले मकान में औरतें बच्चे नहीं मिले थे। घटना वाले मकान में 2 या 3 कमरें थे। सभी कमरों के दरवाजे खुले थे। घटना वाले मकान के पीछे किसका मकान था यह पता नहीं है। घटना वाले मकान की शिनाख्त करने के लिए ग्राम प्रधान या अन्य व्यक्ति से सम्पर्क आब० नि० द्वारा किया गया होगा। अभियुक्त किस दिशा को भागा था वह नहीं बता सकता लेकिन पीछे के दरवाजे से भागा था। बरामद माल कमरों के अन्दर मिला था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त के मकान से कोई माल बरामद न हुआ हो। यह कहना गलत है कि आब० नि० द्वारा गांव वालों से मिलकर रंजिशन फर्जी माल दिखाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया हो। यह कहना गलत है कि वह आब० नि० का अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण मुकदमा को बल देने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

17.**पी०डब्ल्यू०-2 महताब आलम** के बयान में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं घटना की सत्यता पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। उसने बयान दिया है कि घटना दिनांक को वे लोग

फील्ड में घूम रहे थे। मुखबिर चरखारी सुपा क्रॉसिंग पर मिला था। वे लोग कार्यालय से निकलने के बाद चांदौ चन्द्रपुरा व लाडपुर होते हुए घटनास्थल पर गये थे फिर कहा कि कार्यालय से सीधे घटनास्थल को गये थे। जब मुखबिर चरखारी सुपा क्रॉसिंग पर मिला तो वहीं मुखबिरी किया होगा फिर वे लोग सीधे ऑफिस से घटना स्थल पर जाने का मुखबिरी के पहले क्यों तय किये। तहरीर के अनुसार उन्हें खबर मिली कि अवैध देशी शराब के पौवे तैयार किये जा रहे हैं तो उक्त ख़बर पाकर वह तत्काल मुख़बिर ख़ास को वाहन में बैठाकर तथा अन्य आबकारी सिपाहीगण को लेकर मौके पर पहुंचा।

18. गवाह ने आगे अभियुक्त को पीछा करने की बात कहा है लेकिन वह स्पष्ट नहीं बता सकता कि अभियुक्त का पीछे करने में सबसे आगे कौन था। फिर यह बयान दिया है कि जब उन लोगों ने जामा तलाशी ली उसके पहले अभियुक्त भाग चुका था। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जामा तलाशी के पहले ही वे लोग मौके पर पहुँच गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास नहीं किये हैं क्योंकि वह पहले ही भाग चुका था। इसी लिये इस गवाह को यह नहीं पता कि अभियुक्त का पीछे करने में सबसे आगे कौन था। अभियुक्त किस दिशा को भागा था वह नहीं बता सकता।

19. इस गवाह ने आगे बयान दिया है कि लिखा-पढ़ी के समय गांव के लोग आ गये थे लेकिन कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। घटना वाले मकान की शिनाख्त करने के लिए ग्राम प्रधान या अन्य व्यक्ति से सम्पर्क आब० नि० द्वारा किया गया होगा। जब यह गवाह साथ में ही था तो इसे स्पष्ट पता होना चाहिए कि गांव प्रधान से सम्पर्क किया गया या नहीं।

20. **पी०डब्ल्यू०-3 हे०कां० अशोक कुमार** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 29/30.08.2016 की रात्रि थाना कार्यालय में हे०मो० के पद पर तैनात था। उसी तिथि को श्री रामकृष्ण चतुर्वेदी, आबकारी निरीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त करायी गयी फर्द के आधार पर मु०अ०सं०-308/2016, अन्तर्गत धारा-60(63) एक्साइज एक्ट व 272, 273 भा०दं०वि० बनाम भक्ति सिंह यादव पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी भटेवरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जिला महोबा के विरूद्ध पंजीकृत किया था। मुकदमे का हवाला जी० डी० नं०-2 समय 00.30 ए०एम० दिनांक 30.08.2016 को किया गया जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसकी वह पुष्टि करता है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। पत्रावली में कागज संख्या-4क/1 लगायत 4क/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसमें बने हस्ताक्षर प्रभारी निरीक्षक शतीश चन्द्र शुक्ला हैं। उसने उनको लिखते-पढ़ते व हस्ताक्षर बनाते देखा

है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। पत्रावली में कागज संख्या-7क मूल जी०डी० की कार्बन प्रति उसके लेख वह हस्ताक्षर में हैं जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

21.जिरह किये जाने पर **पी०डब्ल्यू०-3 हे०कां० अशोक कुमार** ने बयान दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द के आधार पर लिखी थी। आबकारी निरीक्षक द्वारा एफ०आई०आर० के बाबत कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया था। जी० डी० नं०-2 दिनांक 30.08.2016 की मूलप्रति आज उसके सामने नहीं है। वह इस समय यह नहीं बता सकता कि फर्द के साथ माल के कितने बण्डल वादी द्वारा उसे दिये गये थे। विवेचक ने उसका थाने में बयान उसी दिन ले लिया था। वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय थाने में मौजूद नहीं थे।

22.जब **पी०डब्ल्यू०-3 हे०कां० अशोक कुमार** के अनुसार प्रसरि वादी द्वारा दी गयी फर्द के आधार पर ही लिखी गयी थी तो वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय थाने में मौजूद क्यों नहीं थे, स्पष्ट नहीं है। यह गवाह थाना में जमा कराये गये माल के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञ है।

23.**पी०डब्ल्यू०-4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान** हाल तैनाती थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज ने अपने सशपथ मुख्य बयान में यह कथन किया है कि दिनांक 30.08.2016 को वह एस०एस०आई० कुलपहाड़ के पद पर नियुक्त था। मु० अ० सं० 308/16 धारा 60(63) एक्साइज एक्ट व 272, 273 आईपीसी की विवेचना उसे प्राप्त हुयी थी। दिनांक 30.08.2016 को पर्चा नं०-1 किता करके अवलोकन कायमी रपट व बयान लेखक हे०कां० अशोक कुमार अंकित किया गया। पर्चा नं०-2 दिनांक 03.09.2016 को किता किया गया जिसमें वादी मुकदमा रामकृष्ण द्विवेदी, गवाह एस०आई० घनश्यामदास के बयान अंकित करके वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पर्चा नं०-3 दिनांक 04.09.2016 को किता करके अभियुक्त खेमचन्द्र यादव उर्फ भक्ति सिंह की गिरफ्तारी समय करीब 11.30 बजे करके गिरफ्तारी प्रपत्र आदि तैयार कर अभियुक्त का रिमाण्ड लिया गया। पर्चा नं०-4 दिनांक 06.09.2016 को किता करके गवाह महताब आलम, नरेन्द्र कुमार, गवाह कां० कार्तिकेय अग्निहोत्री अंकित किये। दिनांक 07.09.2016 को पर्चा नं०-5 किता किया तथा कां० मूलचन्द्र चौरसिया, गवाह भागीरथ सिंह के बयान अंकित किये तथा हे०कां० जनक कुमार द्वारा दिनांक 03.09.2016 को क्रम संख्या 7388 पर सम्बन्धित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाल में दाखिल करने का विवरण अंकित करके अभियुक्त खेमचन्द्र उर्फ

भक्ति सिंह उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 118/2016 किया गया था। पत्रावली में कागज संख्या-9क गिरफ्तारी प्रपत्र, कागज संख्या-8क नक्शा नजरी, कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/3 आरोप पत्र पर बने हस्ताक्षर उसके हैं जिसकी पुष्टि करता है जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-4, 5 व 6 डाला गया।

24.**जिरह किये जाने पर पी०डब्ल्यू०-4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान** ने बयान दिया है कि उसने वादी रामकृष्ण चतुर्वेदी का बयान थाने में अंकित किया था। शेष गवाहों का बयान भी थाने में लिया था। उसने वादी मुकदमा से अभियुक्त के मकान की शिनाख्त की थी। उसने इस सम्बन्ध में गाँव वालों से नहीं पूँछतांछ की थी। घटना वाले मकान के पीछे खाली जगह है। घटना वाले मकान के पीछे दीवाल थी जिसमें गेट लगा था, जिसको उसने चिन्ह अंकित किया है लेकिन गेट नहीं लिखा है। अब मकान बन गया हो तो वह नहीं बता सकता। उस समय किसी का मकान नहीं बना था। भक्ति यादव का मकान रास्ते के पूरब दिशा में था। नक्शा बनाते समय मकान खाली पड़ा था। भक्ति यादव के पुराने रिहायशी मकान की उसने जानकारी नहीं की थी। पूरा मकान खाली था। उसमें भूसा आदि नहीं भरा था। नमूना सील माल परीक्षण हेतु भेजा गया था। गिरफ्तारी स्थल पर अभियुक्त का बयान लिखा गया था। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही अभियुक्त से मौके से कोई माल बरामद हुआ था। उसने वादी मुकदमा द्वारा लिखाये गये मुकदमे के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। यह कहना गलत है कि उसने गाँव के विरोधियों से मिलकर अभियुक्त भक्ति सिंह के विरूद्ध झूठा आरोपपत्र प्रेषित किया हो।

25.**पी०डब्ल्यू०-4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान** <u>वि</u>वेचक ने बयान दिया है कि उसने इस सम्बन्ध में गाँव वालों से पूछताछ नहीं की थी। उसने गांव वालों से पूछताछ क्यों नहीं की स्पष्ट नहीं है। उसके द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही सन्देहास्पद प्रतीत होती है। पूरे प्रकरण में कोई जनता का स्वतन्त्र साक्षी फराहम करने की कोशिश नहीं की गयी है।

26.**निष्कर्ष-** उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत मामले में अवैध शराब बनाने के उपकरणों व सामानों की बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही सन्दहेस्पद है तथा मनमाने ढंग बरामदगी दिखाकर गम्भीर धारायें लगा दी गयी हैं। विधि विज्ञान की प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-7 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि बरामद पदार्थ मानव जीवन के लिये अपायकर था। न ही बरामद माल को साबित कराया गया है। अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं, जो

युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हैं। अभियुक्त को उसके ऊपर लगाये गये आरोपों से उसे दोषमुक्त करना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

27.**आदेश-** अभियुक्त खेमचन्द्र उर्फ भक्ति सिंह को उसके ऊपर लगाये गये धारा-60 सपठित धारा 63 आबकारी अधिनियम एवं 272व273 भादसं के आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्ध-पत्र व जमानत-पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं। माल मुकदमाती, यदि कोई हो, बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये। अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2026 को धारा-437 दप्रसं के अन्तर्गत जमानतनामा दाखिल किया जा चुका है।

दिनांकः 30.06.2026 **(रामनगीना यादव)**

सत्र न्यायाधीश

महोबा

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 30.06.2026 **(रामनगीना यादव)**

सत्र न्यायाधीश

महोबा